

देवराज नागर,
आई.पी.एस.



अर्द्धशा0 परिपत्र संख्या:डीजी- 66 /2013

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,

1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांक:लखनऊ:दिसम्बर 04, 2013

विषय- बोरवेल एवं ट्यूबवेल निर्माण के समय बच्चों को गिरने से बचाने के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल रिट पिटीशन संख्या:36/2009 में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

उपरोक्त सिविल रिट पिटीशन संख्या:36/2009 के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 06.08.2010 में दिये गये आदेश(छायाप्रति संलग्न)का अवलोकन करें। जो बच्चों के बोरवेल एवं ट्यूबवेल में गिरने की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में हैं।

- किसी जमीन/परिसर का भू-स्वामी बोरवेल एवं ट्यूबवेल बनाने से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित रूप से सम्बन्धित अधिकारियों/प्राधिकरण जैसे:-जिला अधिकारी, ग्राम पंचायत के सरपंच, अन्य सांविधिक प्राधिकरण, भूजल, स्वास्थ्य विभाग, म्यूनिसिपल कारपोरेशन आदि को निर्माण के सम्बन्ध में सूचना देगा।
- खुदाई करने वाली समस्त एजेन्सी जैसे कि सरकारी, अर्द्धसरकारी, प्राइवेट आदि का पंजीकरण जनपद प्रशासन या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास करवाना अनिवार्य होगा।
- निर्माण के समय बोरवेल एवं ट्यूबवेल के पास एक साइन बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाया जाय:-
 - (i) कुएँ की खुदाई या मरम्मत के समय खुदाई का कार्य करने वाली संस्था का पूरा पता
 - (ii) कुएँ को प्रयोग करने वाली एजेन्सी या स्वामी का पूरा पता।
- कटीले तार की बाड़ या अन्य कोई समुचित बैरियर निर्माण स्थान के चारों तरफ अच्छी तरह से लगाया जाय।
- कंक्रीट/सीमेन्ट का 0.50 X 0.50X 0.60 मीटर परिमाण का चबूतरा (.30मीटर जमीनी स्तर से ऊपर और .30 मीटर जमीन के नीचे) कुएँ के मुँह के चारों तरफ बनाया जाय।
- बोरवेल के खुले मुँह को स्टील प्लेट के मजबूत ढक्कन से बेल्डिंग या नट बोल्ट द्वारा बन्द किया जाय।
- पम्प की मरम्मत के समय ट्यूबवेल का मुँह खुला न छोड़ा जाय।
- कार्य पूरा हो जाने पर बोरवेल को मिट्टी, बालू, पत्थर आदि से नीचे से भूमि की सतह तक भर दिया जाय।
- परित्यक्त बोरवेल को मिट्टी, बालू, पत्थर, कंकड़ आदि से नीचे से भूमि की सतह तक भर दिया जाय।
- किसी स्थान विशेष पर खुदाई का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद जमीन को वैसा ही बना दिया जाय जैसी निर्माण(खुदाई)से पहले थी।

- बोरवेल एवं ट्यूबवेल के सम्बन्ध में उपरोक्त सभी दिशा-निर्देशों का पालन/मानीटरिंग/चैकिंग आदि का कार्य जिसे केन्द्र/राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, उसको सत्यापित करने का अधिकार जिला अधिकारी को दिया जाना चाहिए।
- जिला/ब्लाक/ग्राम वार सभी बोरवेल/ट्यूबवेल का विवरण, कितने बोरवेल खोदे गये/कितने प्रयोग किये जा रहे हैं/कितने बेकार या अरक्षित/लावारिस हैं, जो खुले हैं/कितने अरक्षित थे जिन्हें भरा गया तथा कितने को भरना शेष है, जिला स्तर पर रखा जायेगा। ग्रामीण इलाकों में इसकी मानीटरिंग गांव के सरपंच व कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा की जायेगी। शहरी क्षेत्र में इसकी मानीटरिंग जूनियर इन्जीनियर व सम्बन्धित विभाग जैसे भूजल, पब्लिक हेल्थ/म्यूनिसिपल कारपोरेशन आदि के अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
- यदि कोई बोरवेल एवं ट्यूबवेल किसी स्तर पर परित्यक्त छोड़ा जाता है तो तत्काल इस सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग जैसे भूजल/पब्लिक हेल्थ/म्यूनिसिपल कारपोरेशन आदि से प्राप्त कर लिया जाएगा कि उसको ठीक प्रकार से जमीन के स्तर तक भर दिया गया है। परित्यक्त बोरवेल एवं ट्यूबवेल का आकस्मिक निरीक्षण सम्बन्धित एजेन्सी व विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त सभी प्रकार के आंकड़ों की सूचनाएँ जिला अधिकारी/ब्लाक कार्यालय पर रखी जायेगी।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अंधीनस्थ उपनिरीक्षक एवं आरक्षीगण को निर्देशित करें कि जब भी वे अपने क्षेत्र में जायें, यदि मा० सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों का पालन न हो रहा हो तो सम्बन्धित विभाग एवं जिलाधिकारी को सूचित कर दें।

भवदीय,
(देवराज नागर) 4-12-13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

संलग्नक: यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ०प्र० लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, सी०बी०सी०आई०डी०, उ०प्र० लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ०प्र०।
5. पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ०प्र०।